

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0090006110



Payment Date: 29/05/2024 17:09:59

Office Name: SUB REGISTRAR REGISTRATION & STAMPS, KOTA
Location: KOTA
Period: 01/01/2012-To-29/05/2024

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	650.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	650.00

Six Hundred Fifty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: Mr. Chandra Prakash

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

Pan No.(If Applicable):

City(Pincode): kota(324008)

Address: Kota

Remarks:Sanjay Patodi Advocate
For Search Fee

Payment Details:

Challan No. - 0

Bank: State Bank Of India

Bank CIN No: SBIN9000611029052024

Date: 29/05/2024 17:09:59

Refrence No: IK0CTUVTN8

Computer generated copy on : 29/05/2024

Courtesy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

Sanjay Patodi
Advocate

Resident & Office –
2-Ga-12, Dadabari, Kota (Raj.)
Mob. – 98285-63373

Ref. No. : ADV/05/2024

Date : 29.05.2024

To
Registrar (RERA)
2nd and 3rd Floor, RSIC Building,
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme,
Jaipur, Rajasthan

Sub : Title search report of Residential Property Project “PRAKASH ENCLAVE” for Registration Certificate of Project under RERA, Act. 2016 in respect of Residential converted Land Khasra No. 669/630 Area 1.14 Hec. (11400 Sq. Meter) situated at Village Sogaria, Tehsil Ladpura, Dist. Kota, Raj.

BRIEF HISTORY OF TITLE :-

Khasra No. 669/630 Area 1.14 Hec. (11400 Sq. Meter) situated at Village Sogaria, Tehsil Ladpura, Dist. Kota, Raj. belongs to Sh. Chandra Prakash S/o Sh. Nathu Lal.

They decided to develop a residential colony in their land and then they surrender this land to UIT, Kota. On application, UIT, Kota converted the said land under section 90-A Rajasthan Land Revenue Act, 1956 by conversion order No. 100553 dt. 01.08.2023.

Thereafter UIT, Kota issued a Layout plan with approved Map No. 1908 dt. 25.04.2024 for residential purpose and issued a proposed site plan.

After getting of approval plan and layout plan from UIT, Kota they are developed a township scheme knows as “PRAKASH ENCLAVE”.

I, further certify that Sh. Chandra Prakash S/o Sh. Nathu Lal have a valid and marketable title/right in the property and land is free from any encumbrances, charges, lien and attachment.

Search Receipt No. 0090006110 date. 29.05.2024 at Sub Registrar Kota herewith for ready reference.

Date : 29.05.2024

Place : Kota

Sanjay Patodi, Advocate
Sanjay Patodi
Advocate
KOTA (RAJASTHAN)



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सोगरिया
पटवार हल्का :- सोगरिया
भू. अभि. नि. :- सोगरिया
तहसील :- लाडपुरा
जिला :- कोटा

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 20
खाता संख्या पुराना :- 238

काश्तकार का नाम:-

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र नाथूलाल हिस्सा- पूर्ण जाति- धाकड सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
669/630 दक्षिण	1.1400	नहरी प्रथम	1.1400	36.48	स्वीकृत नामांतरकरण : 871 26/05/2021 रहनमुक्त	
					स्वीकृत नामांतरकरण : 874 24/06/2021 हकत्याग	
					स्वीकृत नामांतरकरण : 924 13/06/2023 रहनमुक्त	
					स्वीकृत नामांतरकरण : 927 22/06/2023 विभाजन	

कुल खसरे - 1 1.1400 1.1400 36.4800

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 24-Jun-2023



Print



नगर विकास न्यास, कोटा

राजस्थान सरकार

क्रमांक: LU2012/KOT/2023-24/100553

दिनांक: 01/08/2023

विषय: — राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री **CHANDRA PRAKASH** पुत्र श्री **NATHULAL** जाति **DHAKAD** निवासी **BADA SOGARIYA RANGPUR KOTA JN-**

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सोगारिया, लाडपुरा (कोटा)	CHANDRAPRAKASH S/O NATHULAL JAATI DHAKAD	669/630	11400	1.14
कुल					1.14

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की -मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **01-08-2023** को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, कोटा





जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सोगरिया
पटवार हल्का :- सोगरिया
भू.अभि.नि. :- सोगरिया
तहसील :- लाडपुरा
जिला :- कोटा

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 263
खाता संख्या पुराना :- 5

633/422	0.3000	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.3000
641/225	0.0200	गै.मु.आबादी	0.0200
उत्तरी			
649/327	1.2200	गै.मु.आबादी	1.2200
पश्चिमी			
654/365	0.2210	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.2210
पूर्वी दिशा			
656/419	1.6400	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.6400
658/379	1.0100	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.0100
दक्षिणी पूर्वी			
660/629	1.2900	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.2900
मध्य			
666/380	2.8100	आवासीय प्रयोजनार्थ	2.8100
पश्चिम			
668/381	0.4900	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.4900
पश्चिम			
669/630	1.1400	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.1400
दक्षिण			

कुल खसरे - 51 46.8300 46.8300

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 13-Jun-2024

